हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
28/12/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। प्रकरण में प्रतिवादी सं० 4 अधिकारी तहसीलदार खण्डेला ने पूर्व में No objection दर्ज करवाया है तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने हाजिर अदालत होकर प्रकरण में राजीनामा पेश कर दिया है। अतः प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।	
पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर बतौर राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि:-	
आदेश	
कृषि भूमि ख० नं० 274 रकबा 0.01 है० तन ग्राम उदयपुरा प० ह० गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) में प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के नाम दर्ज 2/5 हिस्सा में से 2/10 हिस्सा का वादी सं० 1 व 2 को तथा 2/10 हिस्सा का वादी सं० 3 ता 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त 2/5 हिस्सा से प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार प्रकरण में डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा [illegible]	

[illegible]
[illegible] है तथा [illegible]
[illegible] पेश कर प्रकरण में राजीनामा
[illegible] कर दिया है। अत: प्रकरण में बहस
वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस
वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित
तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा
दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाकर बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

कृषि भूमि ख० नं० 274 रकबा 0.01 हे० तन ग्राम उदयपुरा प० ह० गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) में प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के नाम दर्ज 2/5 हिस्सा में से 2/10 हिस्सा का वादी सं० 1 व 2 को तथा 2/10 हिस्सा का वादी सं० 3 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त 2/5 हिस्सा से प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार प्रकरण में वादी डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 25-12-2017 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला